आसाराम और हम भगवा भक्त

बेचारे कई लोग कल सुबह से हवन में लगे थे...पता नहीं कैसा हवन था...भगवान नहीं पसीजे...जज के ज़रिए बता दिया कि यह बाबा नहीं बलात्कारी है...धर्म पर संकट भारी है। कितना क्रूर है भगवान ....रामरहीम से लेकर आसाराम तक सब भगवान की ब्रैंडिंग करते आए लेकिन भगवान पसीजा नहीं।...फ़ैसला सुना दिया...

भगवा भक्तों पर तरस आता है। सारे भगवा आईटी सेल में नहीं हैं। कुछ बेरोज़गार हैं। कुछ छोटी मोटी नौकरी करते हैं लेकिन मोई जी, भगवा और धर्म को बचाने के लिए इंटरनेट पर दस बीस रूपया रोज़ ख़र्च करते हैं। इंटरनेट पर हवन हो सकता तो वो भी कर डालते...

मुझे याद आ रहे हैं वो दृश्य जिनमें कभी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रहा अय्याश शख़्स, कोमा में जा चुका एक कवि और नेता, कभी गुजरात में महिलाओं की जासूसी के लिए मशहूर हुआ शख़्स, अब मार्गदर्शक मंडल की शोभा बढ़ा रहा पूर्व लौह पुरूष इस आसाराम का हौसला बढ़ाने पहुँचते थे।...दोनों हाथ जोड़े इन नेताओं की आत्मा तब नहीं कचोटती थी कि इस ढोंगी बाबा के आश्रम के कोने में कोई लड़की अपनी इज़्ज़त लुटाने के बाद सिसक रही होगी।

गुजरात की भक्त महिलाओं को सेक्स पावर की दवा बाँटने वाले इस बाबा की कृपा के लिए नेताओं को मैंने तरसते देखा...आख़िर उन्हें एक ढोंगी बाबा में ऐसा क्या दिखता था जो उनके दोनों हाथ हर समय सेवाभाव में जुड़े रहते थे।... लेकिन एक बात के लिए इस बाबा की तारीफ़ करनी होगी कि इसके पास भी नेताओं की अनगिनत सीडी थी...इसके आश्रम के फ़ाइव स्टार सरीखे कमरों के फ़ोटोग्राफ़...सब कुछ इसके पास था लेकिन बेचारे ने कभी इस्तेमाल नहीं किया।

घिन आती है ऐसे बाबाओं से जिनके लाखों करोड़ों भक्त हों और वह किसी नाबालिग़ बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाए...आख़िर कौन हैं वह महिलाएँ...कैसा उनका दिल था जो इसके लिए उन बच्चियों को बहकाकर लाती थीं।...आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों लेकिन इतना कॉमनसेंस तो होना ही चाहिए कि अगर किसी बाबा पर नोटों की बारिश हो रही हो तो वह ज़रूर किसी ग़लत धंधे में शामिल होगा...आप बाबा के आसपास जुटने वाली भीड़ और सारी चकाचौंध देखकर बौरा (बौड़ा) जाते हैं।...

बाबा हमें बार बार धोखा दे रहे हैं लेकिन हम लोग हार मानने को तैयार नहीं हैं।....हमारी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है। ...योग सिखाते सिखाते घी, तेल, नमक, साबुन बेचने वाला बाबा लोगों को सरेआम मूर्ख बना रहा है...खुलेआम टैक्स चोरी कर रहा है लेकिन हम लोग उसके दीवाने होते जा रहे हैं...एक और बाबा जो यमुना के किनारों और अदालत के फ़ैसलों को अपने पैरों तले मसल देता है वह हमें ज़िंदगी जीने का ढंग बता रहा है और हम लोग टकटकी बाँधे उसके बेतुके प्रवचन सुनते रहते हैं। धर्म आपको सही तरह से गाइड करने के लिए काफ़ी है...कोई बहुरूपिया बाबा आपके धर्म की आड़ में आपको क्यों नियंत्रित करे ?

- साइबर नजर

आसाराम पर एससी-एसटी एक्ट में भी केस चल रहा

एक वकील थे गोपाल सुब्रमण्यम, सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में गोपाल सुब्रमण्यम न्यायालय के सहायक थे जबकि इस मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मुख्य आरोपित थे। गोपाल सुब्रमण्यम को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की कोलेजियम की सिफारिश मोदी सरकार ने खारिज कर दी, ओर उनकी जगह सोहराबुद्दीन मामले में अमित शाह के वकील रहे यूयू ललित को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया।

लेकिन जज बनने से पहले यू यू ललित वकील के रूप में आसाराम के केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर कहते हैं कि आसाराम को जमानत दे दी जाए क्योंकि लड़की बालिग है। और जैसा कि दिलीप सी मंडल बता रहे कि आसाराम एससी-एसटी एक्ट में भी केस चल रहा था, क्योंकि शिकायत करने वाली लड़की दलित है और केस एससी-एसटी कोर्ट में ही चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट से भी उस दिन जमानत नहीं हो पाई. ललित वहाँ फेल हो गए। बाद में यही जज यू यू ललित, जज गोयल के साथ मिलकर 20 मार्च 2018 को एससी-एसटी एक्ट में बदलाव करने वाला फैसला देते हैं।

अब आप खुद समझे कि क्या यह बात ग़लत थी ? जो 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के कही थी कि सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।

आज यह पढ़कर विश्वास मजबूत हुआ कि सच की लड़ाई विश्वास से जीती जाती है, पैसे से नहीं

(आसाराम को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले वकील पी .सी. सोलंकी की का ब्यान)

15 मिनट में जज ने अपना फैसला सुना दिया था। वो 15 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे भारी 15 मिनट थे। एक-एक पल जैसे पहाड़ की तरह बीत रहा था। पूरे समय मेरी आंखों के सामने पीड़िता और उसके पिता का चेहरा घूमता रहा। जज जब फैसला सुनाकर उठे तो लोग मुझे बधाइयां देने लगे। मेरा गला रुंध गया था। मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं वकील हूं, मुकदमे लड़ना, कोर्ट में पेश होना मेरा पेशा है। लेकिन जिंदगी में आखिर कितने ऐसे मौके आते हैं, जब आपको लगे कि आपके होने का कोई अर्थ है। उस क्षण मुझे लगा था कि मेरे होने का कुछ अर्थ है। मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरा जन्म राजस्थान के एक साधारण परिवार में हुआ था। घर में तीन बहनें थीं और आर्थिक तंगी। पिता रेलवे में मैकेनिक थे। हम जाति से दर्जी हैं। मैंने भी बचपन से सिलाई का काम किया है। मां एक दिन में 30-40 शर्ट सिलती थीं। पिता बेहद साधारण थे और मां अनपढ़. लेकिन दोनों की एक ही जिद थी कि बच्चों को पढ़ाना है और सिर्फ लड़के को नहीं, लड़कियों को भी। मेरी तीनों बहनों ने आज से 30 साल पहले पोस्ट ग्रेजुएशन किया और नौकरी की। मेरी एक बहन नर्स और एक टीचर है। जब मैंने इस पेशे में आने का फैसला किया तो मेरे गुरु ने कहा था कि वकालत बहुत जिम्मेदारी का काम है। इस पेशे की छवि समाज में बहुत अच्छी नहीं, लेकिन अपनी छवि हम खुद बनाते हैं और अपनी राह खुद चुनते हैं। हमेशा ऐसे काम करना कि सिर उठाकर चल सको और किसी से डरना न पड़े।

जब मैंने आसाराम के खिलाफ पीड़िता की तरफ से यह मुकदमा लड़ने का फैसला किया तो बहुत धमकियां मिलीं। पैसों का लालच दिया गया। तमाम कोशिशें हुईं कि किसी भी तरह मैं ये मुकदमा छोड़ दूं। लेकिन हर बार मुझे वह दिन याद आता, जब पीड़िता के पिता पहली बार मुझसे मिलने कोर्ट आए थे। साथ में वो लड़की थी। बेहद शांत, सौम्य और बुद्धिमान। उसकी आंखें गंभीर थीं और चेहरे पर बहुत दर्द। पिता बेहद निरीह थे, लेकिन इस दृढ़ निश्चय से भरे हुए कि उन्हें यह लड़ाई लड़नी ही है। मैं यह लड़ाई इसलिए लड़ पाया क्योंकि पीड़िता और उसका परिवार एक क्षण के लिए अपने फैसले से डिगा नहीं। लड़की ने बहुत बहादुरी से कोर्ट में खड़े होकर बयान दिया. 94 पन्नों में उसका बयान दर्ज है. तकलीफ बहुत थी, लेकिन वो गोवर्द्धन पर्वत की तरह अटल रही। लड़की की मां 19 दिनों तक कोर्ट में खड़ी रही और 80 पन्नों में उनका बयान दर्ज हुआ। पिता रोते रहे और बोलते रहे. 56 पन्नों में उनका बयान दर्ज हुआ।जब एक बेहद साधारण सा परिवार इतने ताकतवर आदमी के खिलाफ इस तरह अटल खड़ा था तो मैं कैसे हार मान सकता था। 2014 में जिस दिन वकालतनामे पर साइन किया, उस दिन के बाद से यह मुकदमा ही मेरी जिंदगी हो गया।

साढ़े चार साल ट्रायल चला। इन साढ़े चार सालों में मैं रोज कोर्ट गया। 8 बार सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई। 1000 बार से ज्यादा ट्रायल कोर्ट में पेश हुआ। जितना मामूली पीड़िता का परिवार था, उतना ही मामूली वकील था मैं। इस तरफ मैं था और दूसरी तरफ थे देश की राजधानी में बैठे कद्दावर वकील। सबसे पहले आसाराम को जमानत दिलवाने के लिए आए राम जेठमलानी। जमानत याचिका रद्द हो गई। फिर आए के टीएस तुलसी, लेकिन आसाराम को कोई राहत नहीं मिली। फिर आए सुब्रमण्यम स्वामी. न्यायालय में 40 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन फैसला हमारे पक्ष में आया। फिर आए राजू रामचंद्रन लेकिन जमानत याचिका फिर खारिज हो गई। सिद्धार्थ लूथरा ने अभियुक्त की तरफ से कोर्ट में पैरवी की। इस केस में आसाराम की तरफ से देश का तकरीबन हर बड़ा वकील पेश हुआ। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आसाराम की पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट के जज यूयू ललित आए। सलमान खुर्शीद, सोली सोराबजी, विकास सिंह, एसके जैन, सबने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया. तीन बार सुप्रीम कोर्ट से आसाराम की जमानत याचिका खारिज हुई। कुल छह बार अभियुक्त ने जमानत की कोशिश की और हर बार फैसला हमारे पक्ष में आया। लोग कहते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता। मैं कहता हूं, मेरी 80 साल की मां और 85 साल के पिता को भी डर नहीं लगता। जब आप सच के साथ होते हैं तो मन, शरीर सब एक रहस्यमय ऊर्जा से भर जाता है. सत्य में बड़ा बल है। आत्मा की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं. उनके पास धन, वैभव, सियासत का बल था, मैं अपनी आत्मा के बल पर खड़ा रहा. मेरा परिवार मेरे साथ था। मेरी मां पढ़ी-लिखी नहीं हैं। वे बस इतना समझती हैं कि एक आदमी ने गलत किया. बच्ची को न्याय मिले। मुझे सच की लड़ाई लड़ता देख मेरे पिता की बूढ़ी आंखों में गर्व की चमक दिखाई देती है। वे मुझसे भी ज्यादा निडर हैं। 85 साल की उम्र में भी बिलकुल स्वस्थ। तीन मंजिला मकान की अकेले सफाई करते हैं। पत्नी खुश है कि मैं एक लड़की के हक के लिए लड़ा। (पीसी सोलंकी आसाराम के मुकदमे में पीड़िता के वकील थे. यह लेख पी.सी. सोलंकी के साथ बातचीत पर आधारित है.)

बलात्कारी आसाराम को आजीवन कारावास : भगवा आतंक और भगवा न्याय का रास्ता भगवा बलात्कार तक जाता है मोदी जी!

बलराज साहनी की नजर में धर्म और ईश्वर भी आसाराम पाखंड का हिस्सा हैं

जगदीश्वर चतुर्वेदी

बलराज साहनी का एक निबंध है 'मेरा दृष्टिकोण', इसमें उन्होंने साफ लिखा है ,'मैं ईश्वर को बिलकुल नहीं मानता।,जो लोग आए दिन धर्म और ईश्वर के नाम पर समझौते करते रहते हैं और धर्म की भूमिका की अनदेखी करते हैं,उनके लिए यह निबंध जरूर पढ़ना चाहिए। साहनी ने लिखा 'एक नास्तिक के लिए आस्तिकता के साथ जरा-सा भी समझौता करना खतरे से खाली नहीं है,क्योंकि आज के जमाने में धर्म एक ऐसी व्यापारिक संस्था बन गया है कि उसके 'सेल्ज़मैनंहर तरफ भागे-दौड़े फिर रहे हैं,जिनसे अपने-आपको बचाये रखने के लिए हर समय चौकन्ना रहने की जरूरत है।

आजकल जो लोग प्राचीनकाल में इंटरनेट और विज्ञान आदि की नई-नई खोजें पेश कर रहे हैं, उस तरह के विचारकों को केन्द्र रखकर लिखा, 'अध्यात्मवादियों, योगियो,ज्योतिषियों और दर्शनशास्त्रियों ने सृष्टि को लेकर पूर्ण रुप से समझने के जो दावे किए हैं,वे मुझे हास्यजनक प्रतीत होते हैं।

इन दिनों भारत के मध्यवर्ग से लेकर साधारण जनता तक में संतों- महंतों के पीछे भागने की प्रवृत्ति नजर आ रही है।इन संस्थाओं के बारे में साहनी ने लिखा 'मैं संस्थापित धर्मों और मत-मतान्तरों का विरोधी हूँ,और मेरा ख्याल है कि इन धर्मों के जन्मदाता भी संस्थापित धर्मों के उतने ही विरोधी थे। महापुरुषों के विशाल चिन्तन को किसी सीमित घेरे में बांधकर लोगों को पथभ्रष्ट करना प्राचीन काल से शासकवर्ग की साजिश चली आ रही है।

'संस्थापित धर्मों से स्वतंत्र रहने वाले मनुष्य के विचारों में स्वतंत्रता आ जाती है। और वह बुद्ध,ईसा, मुहम्मद और नानक जैसे धार्मिक महापुरुषों को भी प्लेटो,सुकरात,अरस्तू, शंकर,नागार्जुन, महावीर,कांट,शोपनहॉवर हीगेल आदि की तरह उच्चकोटि के चिन्तक और दार्शनिक मानने लगता है,जिन्होंने कि मानव विकास के विभिन्न पड़ावों पर मनुष्य के चिन्तन को आगे बढाया है। इसी प्रकार,वह उनके अमूल्य विचारों का पूरा लाभ उठा सकता है, जो कि मानव सभ्यता का बहुत बड़ा विरसा है।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5**
2. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
4. **5 ई-18 नरेन्द्र बुक सेन्टर - 9810229192**
5. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे**
6. **राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने**
7. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास**
8. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**
9. **सिंगला मेडिकल स्टोर, जवाहर कॉलोनी, डिस्पोजल चौक**
10. **आरसीएम स्टोर, बाबा बालकनाथ मंदिर वाली गली, जवाहर कालोनी, फ़रीदाबाद**